महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था

डॉ० ललिता कुमारी*

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की उस क्षमता से है जिससे उनमें वे योग्यता आ जाती है कि वे अपने जीवन से जुड़े सही निर्णय ले सकती है। ऐसा निर्णय जो देश तथा समाज के तरक्की में सहायक हो। भारत देश में जहाँ 78 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, वहाँ पंचायती राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय शासन का महत्व स्वतः सिद्ध है। पंचायत भारत के प्राचीनतम् राजनीतिक संस्थाओं में से एक मानी जाती है। भारत में ग्रामीण विकास तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने में पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वतंत्रता पूर्व से महात्मा गाँधी ने पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पिछड़े वर्ग के हाथों में सत्ता सौंपने की कल्पना की थी। 1955 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई लेकिन यह अपने कार्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही। सत्ता पिछड़े वर्गों के बजाय गाँव के उच्च वर्गों के हाथों में चली गई। कालान्तर में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सही अर्थों में पिछड़े वर्गों को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया। भारत में लोकतंत्र की सबसे न्यूनतम इकाई पंचायत है। हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है और इनकी भागीदारी के अभाव में देश का विकास संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान में रख कर 24 अप्रैल 1993 को 73वाँ संवैधानिक संसोधन विधेयक लागू हुआ जो पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय है। इस संविधान संसोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाया गया।

पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए वरदान के रूप में उभरी है इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में पंचायती राज आने से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पंचायती राज का प्रयत्न सही दिशा में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने तथा नया जीवन प्रदान करने में सफल हुई है। इस आरक्षण व्यवस्था के कारण ही महिलाएँ अपने घर की दहलीज लाँघ कर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी क्षमता का परिचय दे रही है।

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना आसान नहीं है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि अभी स्थिति काफी दयनीय है। लेकिन प्रजातांत्रिक माहौल व

***स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा।**

महिलाओं की भागीदारी के कारण स्थितियों में बदलाव आना आरम्भ हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है। सबसे पहले आँन्ध्रप्रदेश तथा उसके पश्चात् हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में महिलाओं की आवाजें बुलन्द हुई। महिलाओं ने गाँव–गाँव जाकर शराब के ठेके को बन्द कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मणिपुर में तो महिलाओं ने केवल शराब पीने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया बल्कि शराब पिए हुए पुरुषों की पिटाई करने तक का आन्दोलन चलाया तथा इसमें अपने परिवार के पुरुषों को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराईयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का शंखनाद किया तथा इस पर नियंत्रण स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता भी हासिल किया।

देश के राजनीतिक परिदृश्य में शुरू से ही महिलाओं की मोजुदगी कम है उसका प्रमुख कारण यह है कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल 2010 में राज्य सभा से तो पास हो गया लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो सका। वर्तमान समय में देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी 12 प्रतिशत है, वहीं देश की विभिन्न विधानसभाओं में उनकी भागीदारी 9 प्रतिशत है। जहाँ तक देश के पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न है तो पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिये जाने के पूर्व राजनीति में इनकी भागीदारी नगण्य थी तथा पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं के बराबर था। लेकिन 73वाँ संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन कुछ राज्यों जैसे– बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में दस लाख पंचायत प्रतिनिधि महिलायें है। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

महिला प्रतिनिधियों की शैक्षणिक स्थिति पर दृष्टि जाए तो स्पष्ट होता है कि उनकी शिक्षा का स्तर काफी निम्न है तथा पुरुष प्रधान समाज होने के कारण इन्हें पुरुषों के सामंती मनोवृतियों का भी सामना करना पड़ता है। महिला प्रतिनिधियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश एक नया अनुभव है। लेकिन इन सब के बावजुद काफी कम समय में ये एक बेहतर प्रशासन के रूप में उभर कर सामने आई है। जिसके परिणाम स्वरूप अब राजनैतिक दलों को भी महिलाओं को सम्मान जनक पद देने पर रहे हैं।

महात्मा गाँधी ने दुनिया को महिलाओं की ताकत दिखाई। वह महिलाओं की त्याग करने की प्रकृति, कष्ट–प्रेम और करूणा को जानते थे। वह उन्हे राष्ट्र निर्माण में सही स्थान देना चाहते थे। वह कहते थे कि महिलाओं को कमजोर नहीं कहा जाना चाहिए। वास्तव में वे अपने क्षेत्र में बेहद मजबूत है, जिसमें पुरुष बहुत

कमजोर हैं। वह यह भी कहते थे कि स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है बल्कि एक–दूसरे के पूरक हैं। वह मानते थे कि महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें समाज में अधिकार और सम्मान जनक स्थान देगा तथा अहिंसक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। गाँधी ने बताया कि उन्होंने महिलाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल क्यों किया। उन्होंने कहा "मैंने रचनात्मक कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया है, क्योंकि सत्याग्रह इतने कम समय में भारत की स्त्रियों को उनके अंधकार से बाहर ले आया है। जितने कम समय में कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं को अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि महिलाएँ स्वराज की लड़ाई में बराबर की साझेदार हो चुकी है। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ है कि महिला को सेवा के अभियान में पुरुष का असली सहयोग बनना होगा। महिला को रीतियों और नियमों के तले दबाया गया है जिसके लिए पुरुष जिम्मेदार है और जिन नियमों को बनाने में महिलाओं का कोई भी हाथ नहीं है। अहिंसा पर आधारित जीवन की योजना में महिला को अपना भविष्य तय करने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को।

भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ आरम्भ से ही स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता रही है। किन्तु जब भी समाज या देश में संकट की उत्पत्ति हुई है वहाँ अनेक ऐसी महिलाओं तथा वीरांगनाओं का उदय हुआ है जिन्होंने पुरुषों के साथ–साथ अपनी भी ज्ञान एवं बहादुरी का लोहा मनवाया। वृन्दावनलाल वर्मा का उपन्यास "झाँसी की रानी" समाज में महिलाओं की उत्थान व वर्चस्व की बात करता है। महिलाओं को राष्ट्रीय राजनीति में आने की स्वीकृति आसानी से कैसे मिली जबकि उन्हें किसी भी राजनीतिक व सार्वजनिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसका मुख्य कारण यह था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को एक धार्मिक मिशन के रूप में देखा गया व स्वाधीनता संग्राम को देशपूजा माना गया। पूजा में शक्ति का आह्वाहन भी किया जाता है। धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराओं में महिलाओं को शक्ति माना जाता है। अतः महिलाओं का अपने आपको उस शक्ति का अंश मानकर आन्दोलन से जुड़ना सहज हो गया।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन विरांगनाओं ने भारत माता के मष्तक को गौरव से ऊँचा किया, उसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाएँ शामिल थी। ये सब वही महिलाएँ थी, जिसने अपने मातृभूमि भारतवर्ष की आजादी के लिए हँसते–हँसते अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया था। 1857 के संघर्ष के दौरान रानी लक्ष्मीबाई के साथ महिलाओं ने जिन साहस, वीरता, युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया वह महिला सशक्तिकरण की एक मिशाल कायम कर रही है।

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को

गरिमामय स्थान प्राप्त था। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से उनकी स्थिति में जबरदस्त गिरावट आयी। अशिक्षा, रूढ़ियाँ जकड़ती गयी। महिलाएँ घर की चहारदीवारी में कैद होकर अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गयी। समाज में नारी की इस स्थिति को देखते हुए विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में "वुमेन ट्रेड यूनियन" का गठन किया गया। 1910 में पहली बार महिला दिवस मनाए जाने का मुद्दा उठाया गया। महिलाओं ने अपने भीतर नए आत्मविश्वास चिंतन और विचारशीलता को आत्मसात करने का संकल्प लिया, जिसे आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया गया।

पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन किया है। एक ओर जहाँ ग्रामीण समाज की महिलाओं में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई है वही उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आयी है। वे अपने हितों की रक्षा के प्रति सजग हुई है वहीं उनमें सामाजिक, आर्थिक मुद्दों के विरूद्ध आवाज बुलंद करने की हिम्मत भी आयी है। यह राजनीतिक शक्ति महिला सशक्तिकरण के आधार है।

पंचायत में महिलाओं के प्रवेश से न सिर्फ उनका निजी, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण होगा बल्कि राजनीति में गुणवत्ता परक एवं परिणामात्मक सुधार भी आयेगा। क्योंकि महिला दृष्टिकोण समक्ष मसले और चुनौतियाँ केन्द्रीय धुरी बन सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में हावी पितृसत्तात्मक संस्कृति और सामाजिक ढ़ाँचा स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी में बाधक रहे है। कुछ परिवार यह तर्क देकर अपनी महिलाओं को पंचायत में काम करने से रोकते है कि महिला की असली जगह घर है, पंचायत ऑफिस नहीं। कई मामले में महिला पंचायत सदस्यों के रूप में इस्तेमाल करते है। इससे प्रधान पति या सरपंच पति का चलन शुरू हुआ है।

अतः उपर्युक्त सभी बाधाओं के बावजुद आज तकनीक और विज्ञान के इस युग को महिलाओं का गौरव गाथा का युग माना जाता है। महिलाओं का इस युग में प्रवेश एक लंबी गाथा है। जहाँ महिलाओं का अतीत जितना अंधकारमय था, उतना ही वर्तमान और भविष्य उज्जवल की पराकाष्ठा का उच्चतम शिखर पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सीमा सिंह–पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, प्रभात प्रकाशन–2010
2. सिंह निशांत–भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन, ओमेग पब्लिकेशन
3. हरिमोहन धवन–महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2004
4. शर्मा ए0 एन0–वीमेन एण्ड सोसायटी
5. डॉ0 आदर्श शर्मा–भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2000
6. डॉ कमला गुप्ता–भारतीय नारी प्रारंभ से 2000 ई0 तक, जानकी प्रकाशन

****